... सं.ई. 11017/03/2023-हिन्दी/विविध/ 290

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द), सेवा भवन, आर के पुरम,
नई दिल्ली - 110 066
दिनांक 31 जुलाई, 2023

परिपत्र

संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 2021 तक पर जारी किए अनेक आदेश, कार्यालय ज्ञापन, नियम एवं निर्देश के संकलन को जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया है केंद्रीय जल आयोग के मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों की सुविधा हेतु इसे परिचालित किया जा रहा है।

इस संबंध में, अधिक जानकारी हेतु कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 04 मई 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 11034/4/2023-राजभाषा (नीति) (संलग्न) का संदर्भ लें।

संलग्नक: यथोपरि

31/7/2023

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक(रा.भा.)

केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. - अध्यक्ष, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,
2. - सदस्य,जल आयोजना एवं परियोजना, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,
3. - सदस्य, नदी प्रबंध, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव
4. - सदस्य अभिकल्प एवं अनुसंधान, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,
5. मुख्य अभियंता,(मा.सं.प्र.) के प्रधान निजी सचिव

संख्या- 11034/4/2023 - राजभाषा (नीति)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 04 मई, 2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश, कार्यालय ज्ञापन, नियम एवं निर्देश आदि जारी किए जाते हैं। इन आदेशों को संकलित करके अलग-अलग वर्षों में मुद्रित/प्रकाशित कराया जाता रहा है।

2. राजभाषा विभाग को संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और संगठनों आदि से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें आदेशों, नियमों आदि की प्रतियां आदि उपलब्ध कराने के अनुरोध शामिल होते हैं। कभी-कभी आदेशों के संकलन सुलभ न होने से प्रयोक्ताओं/प्रशासकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3. अब, राजभाषा विभाग को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा संबंधी आदेशों के सभी उपलब्ध संकलनों को डिजिटाइज करा लिया गया है और इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बाद में, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी वेबसाइट पर पीडीएफ रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

3. वर्ष 1974 के प्रथम संकलन से लेकर वर्ष 2021 तक जारी आदेशों के संकलन, राजभाषा विभाग की वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर **'राजभाषा संबंधी प्रावधान'** शीर्षक के अंतर्गत ***'राजभाषा संबंधी आदेशों का संकलन'*** उप-शीर्ष, में देखे जा सकते हैं।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. **संघ सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/स्वायत्त निकाय**
2. **संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली**
3. **निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अंत्योदय भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, नई दिल्ली**
4. **राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के साथ-साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।**
5. **परामर्शदाता (एनआईसी) को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इन संकलनों को इस कार्यालय ज्ञापन के साथ लिंक करके राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।**